

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.6(6)/एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) की अनुशंसा के आधार पर श्री ओमप्रकाश मौर्य, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, सिहोड़ी (सीकर) को दिनांक-30.09.2021 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6 %) किन्तु जो 600/- (छः सौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/विकलांग भत्ता/2020/171 दिनांक- 02/12/21
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरु संभाग, चूरु
- 2-मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)
- 3-सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
- 4-प्रधानाचार्य, राउमावि, सिहोड़ी (सीकर) को श्री ओमप्रकाश मौर्य, व्याख्याता (हिन्दी) का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)
- 5-श्री ओमप्रकाश मौर्य, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, सिहोड़ी (सीकर)
- 6-रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक -एफ.6(6)/एफ.डी./रुत्सा/2010 दिनांक-25.04.12 के प्राधानान्तर्गत मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, लूणी, जोधपुर की अनुशंसा के आधार पर श्रीमती अंजना बडगूजर, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, सांगरिया, जोधपुर को दिनांक-29.10.2021 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6 %) किन्तु जो 600/- (छः सौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/सस्था/सी-7/हिन्दी/विकलांग भत्ता/2020/170 दिनांक-02/12/21
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जोधपुर संभाग, जोधपुर
- 2-मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, लूणी, जोधपुर
- 3-सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
- 4-प्रधानाचार्य, राउमावि, सांगरिया, जोधपुर को श्रीमती अंजना बडगूजर, व्याख्याता (हिन्दी) का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)
- 5-श्रीमती अंजना बडगूजर, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, सांगरिया, जोधपुर
- 6-रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर